### <u>न्यायालय: – सदस्य, द्वि०अति० मो०द्व०दा०अधि० बालाघाट</u> श्रृंखला न्यायालय बैहर

(पीठासीन अधिकारी-माखनलाल झोड़)

<u>मो0द्0दा0क.—27/2015</u> संस्थित दिनांक —17.10.2014 Filling No. 29/2017

CNR No. MP 5005-000074-2017

1— संतलाल कंगाले उम्र 43 वर्ष पिता रामलाल जाति गोण्ड

2— देवकी कंगाले उम्र 38 वर्ष पति संतलाल जाति गोण्ड दोनों निवासी—ग्राम गोवारी थाना तहसील बैहर जिला बालाघाट — — — आवेदकगण।

### -// <u>विरुद</u>्ध /

- 1— संदीप कुमार रजक उम्र 28 वर्ष पिता बैसाखू जाति धोबी निवासी—ग्राम देवगांव थाना बम्हनीबंजर तहसील जिला मण्डला
- 2— मयाराम रजक उम्र 45 वर्ष पिता बलराज रजक जाति धोबी निवासी—ग्राम टिकडीटोला थाना बम्हनीबंजर तह. जिला मण्डला
- 3— शाखा प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय खण्डेलवाल बिल्डिंग प्रथम तल स्टेशन रोड

तहसील व जिला बालाघाट — — — <u>अनावेदकगण</u>

आवेदकगण द्वारा श्री दीपक पंचभावे अधिवक्ता। अनावेदक कमांक 1, 2 पूर्व से अनुपस्थित। अनावेदक कमांक 3 द्वारा श्री सिराज कुरैशी अधिवक्ता।

<u>मो0दु0दा0 क्र.-39 / 2017</u>

संस्थित दिनांक —14.05.2015 Filling No. 50/2017 CNR No. MP 5005-000306-2017

फूलचंद रजक आयु 75 वर्ष आत्मज समलू रजक जाति धोबी निवासी—ग्राम गोवारी, अवधिया की चाल में तहसील बैहर जिला बालाघाट — — — — — आवेदक।

-/<u>\विरुद्ध</u> //-

- 1— संदीप कुमार रजक उम्र 28 वर्ष पिता बैसाखू जाति धोबी निवासी—ग्राम देवगांव थाना बम्हनीबंजर तहसील जिला मण्डला
- 2— मयाराम रजक उम्र 45 वर्ष पिता बलराज रजक जाति धोबी निवासी—ग्राम टिकड़ीटोला थाना बम्हनीबंजर तह. जिला मण्डला
- 3— शाखा प्रबंधक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड शाखा कार्यालय खण्डेलवाल बिल्डिंग प्रथम तल स्टेशन रोड तहसील व जिला बालाघाट — — — <u>अनावेदकगण</u>

\_

आवेदकगण द्वारा श्री नदीम कुरैशी अधिवक्ता। अनावेदक कृमांक 1, 2 पूर्व से अनुपस्थित। अनावेदक कृमांक 3 द्वारा श्री सिराज कुरैशी अधिवक्ता।

----

### — / / अधिनिर्णय // — (आज दिनांक 16 जनवरी 2018 को घोषित)

- 1. उक्त दोनों दुर्घटना दावा प्रकरण एक ही दुर्घटना से संबंधित होने के कारण उनका एक साथ निराकरण किया जा रहा है।
- 2. मोटर दुर्घटना दावा कमांक 27/2017 के आवेदन का सार यह है कि मृतक अतुल कंगाले पिता संतलाल उम्र 17 वर्ष कृषि मजदूरी कार्य कर 200/—रूपए प्रतिदिन कमाता था। घटना दिनांक 27.06.2014 को 10—11 बजे रात्रि में मृतक खेत से पैदल आ रहा था ग्वाहिटया तालाब के किनारे पानी गिरने से जमीन चिपचिपी फिसलनदार होने के कारण ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा था, अना.क. 1 ने मृतक अतुल से ट्रैक्टर के पिछले भाग में खड़ा होकर सही रास्ता बताने कहा, मृतक चालक अना.क. 1 को ट्रेक्टर के पीछे भाग में खड़ा होकर रास्ता बता रहा था, तभी वाहन ट्रेक्टर कमांक एम.पी. 51—ए.ए. 2884 के चालक द्वारा उतावलेपन से लापरबाहीपूर्वक वाहन चलाकर ट्रेक्टर पलटा दिया जिससे मृतक अतुल के ट्रेक्टर में दबने से मृतक की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई।

- 3. आवेदक क्रमांक 1 मृतक का पिता है, क्रमांक 2 माता है, जो मृतक पर पूर्णतः आश्रित थे। दुर्घटना के समय उक्त वाहन का चालक अना.क. 1 और पंजीकत स्वामी अनावेदक क्रमांक 2 था। उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 के पास दुर्घटना के समय बीमित था। बीमा पॉलिसी नंबर 320704/31/13/6300007225 होकर बीमा वैधता अविध दिनांक 23.02.2014 से 22.02.2015 तक थी। मृतक के पास मजदूरी के अलावा अन्य कोई आय का साधन नहीं था। अतुल की मृत्यु हो जाने से आवेदकगण को भविष्य में होने वाली आय की क्षिति 15,00,000/—, शारीरिक व मानसिक क्षति के पेठे/पुत्र सुख से विचेत होने के मद में 4,00,000/—, अंतिम संस्कार व तेरहवीं के मद में 100,000/—, कुल 20,00,000/—रू. राशि पाने के लिये दावा पेश किया है। साथ ही 12 प्रतिशत ब्याज दिलाए जाने और अन्य अनुतोष की याचना की है।
- अनावेदक क्रमांक 1, 2 ने उत्तर पेश नहीं किया है।
- 5. अनावेदक कमांक 3 बीमा कंपनी ने उत्तर पेश कर कंडिका कमांक 1 लगायत 14 के अभिकथनों को इंकार किया। विशिष्ट कथन में आगे लेख किया है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन की बीमा पॉलिसी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत नहीं की गई है, वाहन का दुर्घटना दिनांक को बीमा नहीं था, अना.क. 3 उन्मुक्त किया जाना विधिसम्मत होगा, अना.क. 1 ट्रेक्टर कमांक एम.पी. 51 ए. 2884 चला रहा था, चालक के पास विधिवत वाहन चलाने का लाईसेंस नहीं था, बीमा शर्तों का उल्लंघन होने से कंपनी को उन्मुक्त किया जाना विधिसम्मत होगा, आवेदक एवं वाहन स्वामी द्वारा आपस में दुरिम संधि कर बीमा कंपनी को क्षिति पहुंचाने की नियत से बढ़ा चढ़ाकर दावा पेश किया गया है, धारा 147, 149 मो.या.अधि. के अंतित दिए गए प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, ब्रीच ऑफ पॉलिसी होने के कारण अधिकरण आवेदक के पक्ष में अवार्ड पारित किया जाता है तो उसके मात्र वाहन स्वामी / बालक जवाबदार है, अना.क. 3 बीमा कंपनी जवाबदार नहीं है। घटना दिनांक को वाहन ट्रेक्टर कमांक एम.पी. 51 ए. 2884

में मतक के साथ 6 व्यक्ति बैठे हुए थे, अना.क. 1 उक्त ट्रेक्टर का चालन कर रहा था, मृतक अतुल व उसके साथ अन्य 6 व्यक्ति ट्रेक्टर पर बैठकर यात्रा कर रहे थे, उक्त वाहन कृषि कार्य के प्रयोजन के लिए जिला परिवहन कार्यालय मंडला में पंजीयत है, मात्र कृषि कार्य के लिए उपयोग में किया जा सकता है, चालक के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति बैठ नहीं सकता है, अपराध कमांक 107/14 शासन बनाम संदीप कुमार में प्रथम सूचना व अन्य सभी दस्तावेज आवेदकगण ने स्वयं पेश किया है, मृतक घटना दिनांक को ट्रेक्टर में बैठा हुआ था, ट्रेक्टर पलट जाने से दुर्घटना कारित हुई है, आवेदकगण का दावा पोषणीय नहीं है, सव्यय निरस्त किए जाने की याचना की है।

- 6. दुर्घटना दावा कमांक 39/2017 के आवेदन का सार यह है कि आहत फूलचंद रजक उम्र 35 साल ग्राम गोवारी तहसील बैहर जिला बालाघाट का निवासी था। वह धोबी का कार्य कर प्रतिदिन 300/—रू. आय अर्जित करता था। घटना दिनांक 27.06.2014 को रात्रि 10—11 बजे खेत से वापस आ रहा था, ग्वाहित्या तालाब के किनारे पानी गिरने के कारण जमीन चिपचिपी होने से ट्रेक्टर चालक अना.क. 1 ने आवेदक से कहा कि टेक्टर चढ़ नहीं रहा है, ट्रेक्टर के सामने की मिट्टी खींचो, रास्ता सही नहीं है, आवेदक ट्रेक्टर के सामने मिट्टी हटा रहा था उसी समय अना.क. 1 चालक द्वारा उतावलेपन से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाया जिससे ट्रेक्टर फलट गया और आवेदक ट्रेक्टर में दब गया, दुर्घटना कारित करने से आवेदक की कमर, गुप्तांग ट्रेक्टर में दब गया, पेशाब की जगह फट गयी, खून निकलने लगा, चलने फिरने में असमर्थ हो।
- 7. अना.क.1 दुर्घटना के समय उक्त वाहन का चालक और अना.क. 2 पंजीकत स्वामी था। उक्त वाहन अनावेदक क्रमांक 3 के पास दुर्घटना के समय बीमित था। बीमा पॉलिसी नंबर 320704/31/13/6300007225 होकर बीमा वैधता अविध दिनांक 23.02.2014 से 22.02.2015 तक थी। उक्त दुर्घटना

होने से आवेदक की रोजगार की हानि 5,40,000/—, चिकित्सा में व्यय 5,00,000/—, भावी चिकित्सा हेतु 2,00,000/, सहजीवन की क्षिति 3,00,000/—, शारीरिक एवं मानसिक कष्ट हेतु 2,00,000/—, शारीरिक हानि के मद में 2,00,000/—, यात्रा व्यय 40,000/—, रहना, खाना में व्यय हेतु 50,000/—रू. इस प्रकार कुल 20,30,000/—रूपए क्षतिपूर्ति राशि दिलाए जाने साथ ही 12 प्रतिशत ब्याज दिलाए जाने और अन्य अनुतोष की याचना की है।

- 8. मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक 27/2017 के उत्तर के समान इस आवेदन का भी उत्तर अनावेदक क्रमांक 3 बीमा कंपनी ने पेश किया है। प्रस्तुत उत्तर के अभिकथन को पुनः लिखे जाने की आवश्यकता नहीं है।
- 9. दोनों दावों के निराकरण के लिए निम्नानुसार वाद प्रश्न निर्मित किए गए है :-

(अ) मोटर दुर्घटना कमांक 27/2017 :-

	जि नाटर पुष्पा कमाक 21/2011 :-			
क.	विचारणीय बिन्दु	निष्कर्ष		
1.	क्या अना.क. 1 ने अना.क. 2 के नियोजन में वाहन ट्रेक्टर कमांक M.P. 51 A.A2884 को तेजी एवं लापरवाहीपूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कर अतुल कंगाले की मृत्यु कारित की ?	प्रमाणित		
2.अ	क्या अना.क. 1 ने बिना वैध ड्रायविंग लायसेंस के एवं बीमा की शर्तो का उल्लंघन करते हुए वाहन चलाकर एक्सीडेंट किया ?	प्रमाणित		
2.ब	यदि हाँ तो क्या बीमा कंपनी पर प्रतिकर अदायकी का दायित्व नहीं है ?	प्रमाणित		
3.अ	क्या आवेदिकागण, अनावेदकगण से प्रतिकर प्राप्त करने की अधिकारी है ?	कंडिका 21 के अनुसार		
3.ब	यदि हॉ तो किससे व कितनी ?	कंडिका 26 के अनुसार		

		<b>√</b> ∧	
4.	सहायता एवं व्यय ?	Sep 100	कंडिका
		TIDIL.	27–अ,ब,स के
		200	अनुसार

# [ब] मोटर दुर्घटना कमांक 39/2017 :—

7	<b>₹</b> .	विचारणीय बिन्दु	निष्कर्ष्
	1.	क्या दिनांक 27.06.2014 को अनावेदक क्रमांक 1	76
1		ने वाहन कमांक M.P. 51 A.A2884 को ग्राम	प्रमाणित
1		गोवारी थाना एवं तहसील बैहर जिला बालाघाट में रात्रि 11 बजे लोकमार्ग पर गुवाहटिया तालाब के	ζ.
1	N	पास लापरवाहीपूर्वक अथवा उतावलेपन से चलाकर	
130		घोर अथवा गंभीर उपहति कारित की 🥂	
Γ	2.	क्या उक्त वाहन अना.क. 3 की संस्था में घटना	
1		दिनांक को अना.क. 2 के स्वामित्व में होते हुए	प्रमाणित
L		बीमित था ?	
	3.	क्या उक्त दुर्घटना के परिणामस्वरूप आवेदक	
1		अनावेदकगण से पृथक पृथक अथवा संयुक्त रूप से बीस लाख तीस हजार रूपए क्षतिपूर्ति पाने का	के अनुसार
		अधिकारी है ?	. 4
H	4.	क्या उक्त दुर्घटना दिनांक को अना.क. 1 बिना	प्रमाणित
		वैध लाईसेंस के वाहन चलाए जाने से बीमा शर्ती	All III
4	81,	का उल्लंघन हुआ है ?	Sa C
	5.	सहायता एवं व्यय ?	कंडिका २७ द,
			इ के अनुसार

दोनों मोटर दुर्घटना दावों के वादप्रश्न कमांक 1 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :—

- 10. मोटर दुर्घटना दावा कमांक 27/2017 के आवेदक संतलाल (आ.सा.1) ने आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत पेश कर पद कमांक 1 में साक्ष्य दी है कि घटना दिनांक 27.06.14 रात्रि 10—11 बजे के बीच की है। साक्षी का पुत्र अतुल खेत से पैदल आ रहा था। टेक्टर चालक अना.क. 1 ने ग्वाहटिया तालाब के किनारे पानी गिरने से जमीन चिपचिपी फिसलनवाली होने और चढाव होने के कारण टेक्टर आगे न बड़ पाने के कारण साक्षी के पुत्र अतुल को टेक्टर के पीछे भाग में खड़ा होकर सही रास्ता बताने के लिए कहा जिस पर साक्षी का पुत्र अतुल टेक्टर चालक अना.क. 1 को टेक्टर के पीछे भाग में खड़ा होकर राही रास्ता बताने दिया जिससे दब जाने से साक्षी के पुत्र की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई।
- 11. पद कमांक 2 में साक्ष्य दी है कि घटना की रिपोर्ट भूपेन्द्र सिंह निवासी आमगांव ने थाना बैहर में दर्ज कराई थी। मर्ग कमांक 30/14 अंतर्गत धारा 174 द.प्र.सं. का कायम किया था। जॉच पश्चात अपराध कमांक 107/14 धारा 279, 337, 304 ए भा.द.वि. शा. वि. संदीप पंजीबद्ध किया था। मृतक का शव परीक्षण कराकर परिजनों को सौंपा गया था। न्यायालय न्या.मजि. प्र.श्रे. बैहर के समक्ष अंतिम प्रतिवेदन पेश किए जाने पर आप.प्र.क. 826/14 विचाराधीन है। इसी साक्षी ने मुख्य कथन के पद कमांक 6 में प्र.ए. 1 लगायत प्र.ए. 12 के दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया है।
- 12. कुंवरसिंह (आ.सा.3) के मुख्य कथन के पद कमांक 2 में लेख साक्ष्य संतलाल (आ.सा.1) के कथन की पुष्टिकारक है। उक्त साक्ष्य का प्रतिपरीक्षण में खण्डन नहीं है। प्र.ए. 1 अंतिम प्रतिवेदन है, प्र.ए. 2 प्रथम सूचना कमांक 107/14 की प्रमाणित प्रति है जिसमें लाल रंग के महिन्द्रा टेक्टर चालक संदीप रजक स्पष्ट नाम लेख है। प्र.ए. 3 मर्ग इंटीमेशन रिपोर्ट 30/14 की प्रमाणित प्रति है, प्र.ए. 4 धारा 175 द..प्र.सं. के सूचना पत्र की नकल है, प्र.ए. 5 नक्शा पंचायतनामा की प्रमाणित प्रति है, प्र.ए. 6 अतुल पिता संतलाल के

शव के परीक्षण हेतु आवेदन है, प्र.ए. 7 शव परीक्षण रिपोर्ट है, प्र.ए. 8 फूलचंद रजक की चोटों की परीक्षण रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति है, प्र.ए. 9 अना.क. 1 संदीप से वाहन और ड्रायविंग लाईसेंस के जप्ती की प्रमाणित प्रति है, को अध्ययन कर विचार में लिया गया।

- 13. मोटर दुर्घटना दावा कमांक 39/2017 के आवेदक फूलचंद रजक (आ.सा.2) ने मुख्य कथन के पद कमांक 1, 2, 3 में घटना का पूर्ण वृत्तांत संतलाल (आ.सा.1) के समान कथन कर घटना की पुष्टि की है। इस साक्षी ने मुख्य कथन के पद कमांक 9 में प्र.ए. 13 लगायत प्र.ए. 127 के दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित किया है जिनमें प्र.ए. 13 मुलाहिजा रिपोर्ट, प्र.ए. 14 डिजिटल एक्स—रे रिपोर्ट, प्र.ए. 15 सिटी स्केन रिपोर्ट, प्र.ए. 16 डिस्चार्ज समरी रिपोर्ट, प्र.ए. 17 सी.बी.सी. रिपोर्ट, प्र.ए. 18 बायोकैमिस्ट रिपोर्ट तथा प्र.ए. 19 ई. सी.जी. रिपोर्ट को प्रदर्श कराया है, का अध्ययन किया गया है।
- 14. उभयपक्षों द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के आधार पर दोनों मोटर दुर्घटना दावों का वादप्रश्न कमांक 1 प्रमाणित पाए जाते है।
  - मोटर दुर्घटना दावा कमांक 27/17 का वादप्रश्न कमांक 2 (अ) एवं मोटर दुर्घटना दावा कमांक 39/17 का वादप्रश्न कमांक 2 एवं 4 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष —
- 15. संतलाल (आ.सा.1), फूलचंद (आ.सा.2) तथा कुंवरसिंह (आ.सा.3) के कथनों को मो.दु.दा.क. 39/2017 के वादप्रश्न क्रमांक 2 को निराकृत करने हेतु लेख किए जाने की आवश्यकता नहीं है। बीमा कंपनी अनावेदक क्रमांक 3 की ओर से उपस्थित साक्षी दीपक चौहान (अना.सा.1) ने अपने मुख्य कथन के पद क्रमांक 2 में तत्संबंध में साक्ष्य दी है कि टेक्टर क्रमांक एम.पी. 51 ए.ए. 2884 का बीमा नेशनल इंश्योरेंस कंपनी से किया गया है जिसकी बीमा पॉलिसी क्रमांक 320704/31/13/6300007225 दिनांक 23.02.14 से 22.02.15 तक के

लिए जारी की गई थी। उक्त बीमा पॉलिसी वाहन स्वामी मयाराम रजक के नाम से जारी की गई थी। इस साक्ष्य के आधार पर मो.दुदा.क. 39/17 का वादप्रश्न कमांक 2 प्रमाणित पाया जाता है।

16. संतलाल (आ.सा.1) ने मुख्य कथन के पद कमांक 1 में साक्ष्य दी है कि साक्षी का पुत्र अतुल ट्रेक्टर के पीछे के भाग में खड़ा होकर रास्ता बता रहा था तभी अना.क. 1 ने ट्रेक्टर पलटा दिया। ट्रेक्टर में दबने से उसकी मृत्यु हो गई। इस साक्ष्य का खंडन नहीं है। अभिलेख पर पेश प्र.ए. 3 की प्रथम सूचना रिपोर्ट के सरल कमांक 12 में लेख ईबारत के अनुसार संदीप रजक के द्वारा लापरवाहीपूर्वक टेक्टर चलाकर पलटा दिया गया के तथ्य को उभयपक्ष में से किसी भी पक्ष ने खंडित नहीं किया है इसलिए मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अनावेदक कमांक 1 ने लापरवाहीपूर्वक टेक्टर कमांक एम. पी. 51 ए.ए. 2884 को दुर्घटना के ठीक पूर्व चलाकर दुर्घटना कारित की है।

17. अनावेदक कमांक 3 बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित साक्षी

17. अनावेदक कमांक 3 बीमा कंपनी की ओर से उपस्थित साक्षी दीपक चौहान (अना.सा.1) ने मुख्य कथन के पद कमांक 3 में शपथ पर कथन किया है कि उक्त बीमा पॉलिसी के अंतर्गत मात्र कृषि कार्य किया जा सकता है, टेक्टर में बैठने की क्षमता 1 है। इस साक्षी ने मुख्य कथन के पद कमांक 4 में वही तथ्य अभिकथित किए है जो वादप्रश्न कमांक 1 के निराकरण हेतु संतलाल (आ.सा.1), फूलचंद (आ.सा.2) एवं कुंवरसिंह (आ.सा.3) ने घटना बाबद कहें है जिससे स्पष्ट है कि अना.क. 1 ने बीमा शर्तों का उल्लंघन कर मृतक को टेक्टर पर किसी भी उद्देश्य से पीछे सवार कराकर वाहन को चलाया तब दुर्घटना होने से अतृल की मृत्यु हुई। इस प्रकार बीमा शर्तो का स्पष्ट उल्लंघन अना.क. 1 ने किया है। अनावेदक कमांक 3 ने वैध डायविंग लाईसेंस न होना प्रमाणित नहीं किया है। इस प्रकार मो.दु.दा.क. 39/2017 का वादप्रश्न कमांक 4 प्रमाणित है तथा मो.दु.दा.क. 27/2017 का वादप्रश्न

कमांक 2-अ बीमा शर्त का उल्लंघन करे वाहन चलाना अभिलेख पर प्रमाणित है।

## मोटर दुर्घटना दावा कमांक 27/17 का वादप्रश्न कमांक 3 (अ) (ब) एवं 2 (ब) मोटर दुर्घटना दावा कमांक 39/17 का वादप्रश्न कमांक 3 का साक्ष्य के आधार पर निष्कर्ष :—

- 18. संतलाल (आ.सा.1) ने अपने मुख्य कथन के पद क्रमांक 3 में साक्ष्य दी है कि साक्षी का पुत्र अतुल दुर्घटना दिनांक को हष्टपुष्ट स्वस्थ शरीर एवं मस्तिष्क का युवक था। वह मजदूरी कार्य कर 200/-रूपए प्रतिदिन कमाता थां माता—पिता के कार्य में मदद करता था, परिवार चलाने में आर्थिक सहयोग करता था। अतुल की मृत्यु हो जाने से पुत्र सुख से साक्षी को वंचित होना पड़ा, अतुल की मृत्यु होने से शारीरिक मानसिक कष्ट सहन पड़ा, भविष्य की आय की क्षति 15,00,000/-रू. हुई, शारीरिक मानसिक क्लेश, पुत्र सुख से वंचित होने के एवज में 4,00,000/-रू., अत्येष्टि तेरहवीं में व्य 1,00,000/-कुल 20,0000/-रू. की राशि 12 प्रतिशत ब्याज सहित चाही है।
- 19. इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 10 में स्वीकार किया है कि मृतक का विवाह नहीं हुआ था। उसने कक्षा नवमीं पढ़कर छोड़ दिया था। साक्षी खेती, किसानी करता है, मजदूरी भी करता है, साक्षी की पत्नि देवकी मजदूरी करती है, खेती किसानी करती है। साक्षी 200—250 रूपया कमा लेता है और उसकी पत्नि भी 200—250 रूपए कमा लेती है। पद क्रमांक 13 में इंकार किया है कि उसने क्लेम राशि पाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर आय बताई है। यह भी स्वीकार किया है कि अपने पुत्र का लालन पालन स्वयं करता था, स्वतः कहा उसका लड़का भी काम पर जाता था। यह इंकार किया है कि कंडिका 3 में मांगी गई राशि मनगढंत आधार पर है।

- 20. कुंवरसिंह (आ.सा.3) की साक्ष्य में इस बिंदु पर कोई कथन नहीं है। उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया, 18 वर्षीय व्यक्ति को 200/—रूपए प्रतिदिन मजदूरी मिलना अतिशंयोक्ति नहीं है किंतु वह अविवाहित था यह स्पष्ट है। वह जो आय अर्जित कर धन प्राप्त करता था, का 50 प्रतिशत स्वयं पर व्यय करेगा। इस प्रकार आवेदक पक्ष को 100/—रूपए प्रतिदिन की हानि हुई है। मुख्य कथन और प्रतिपरीक्षण में इस साक्ष्य का अभाव है कि मृतक को कितने दिन एक माह में कार्य मिलता था। ज्यूडिशियल नोटिस के आधार पर आवेदक को 15 दिवस ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिमाह कार्य प्राप्त होता है, मानते हुए 1500/—रूपए प्रतिमाह की क्षति आवेदक पक्ष को होना निर्धारित की जाती है। मृतक की आयु 17 वर्ष मर्ग कमांक 3/2014 प्र.ए. 3, नक्शा पंचायतनामा प्र.ए. 5, शव परीक्षण हेतु आवेदन प्र.ए. 6, शव परीक्षण रिपोर्ट प्र.ए. 7 में लेख अनुसार है, इसलिए 18 का गुणांक प्रभावशील होगा।
- 21. उक्त गणना के पश्चात्  $1500 \times 12 \times 18 = 3,24,000$ /- आय की क्षिति हुई है। अंतिम संस्कार के मद में 15,000/-रू, शव परीक्षण गृह से अपने ग्राम तक वाहन से शव लाने के मद में 10,000/-रू. की राशि निर्धारित की जाती है। आवेदक संतलाल मृतक का पिता है, आवेदिका क्रमांक 2 देवकीबाई मृतक की माता है। अतः दोनों को पुत्र सुख से वंचित होने के मद में 25,000/-, 25,000/-रू. दिया जाना निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार कुल राशि (3,24,000+15000+10000+25000+25000) = 3,99,000/- निर्धारित की जाती है। उक्तानुसार मो.दु.दा.क. 27/2017 का वादप्रश्न कमांक 3 (3) निराकृत किया जाता है।
- 22. अनावेदक क्रमांक 3 के साक्षी दीपक चौहान ने पद क्रमांक 4 में साक्ष्य दी है कि दिनांक 28.06.2014 को अनावेदक क्रमांक 1 के साथ टेक्टर क्रमांक एम.पी. 51 ए.ए. 2884 के वाहन की मुण्डी पर मृतक अतुल एवं फूलचंद और उसके साथ अन्य 3 व्यक्ति बैठकर आ रहे थे। तालाब के पास से मिट्टी

गीली हो जाने के कारण उक्त वाहन पलट गया था जिससे बैठे हुए अतुल की मृत्यु हो गई तथा फूलचंद, बसंत, संतलाल, राधिकाबाई थे जिनका मुलाहिजा शासकीय चिकित्सालय में कराया गया था। पद कमांक 5 में साक्ष्य दी है कि बीमा पॉलिसी के अनुसार उक्त वाहन मात्र कृषि कार्य के लिए था जिसमें बैठक क्षमता 1 व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति बैठकर यदि यात्रा करता है तो बीमा कंपनी का उत्तर दायित्व नहीं है।

- 23. इसी साक्षी ने शेष मुख्य कथन के पद कमांक 6 में प्र.एन.ए. 1 लगायत प्र.एन.ए. 18 तक के दस्तावेजों को प्रदर्श अंकित कराया है। प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि दुर्घटनाग्रस्त वाहन दुर्घटना दिनांक को बीमित था। उभयपक्ष द्वारा किए गए तर्कों को विचार में लिया गया। अना.क. 3 बीमा कंपनी की ओर से पेश लिखित तर्क का अध्ययन कर विचार में लिया गया। बीमा कंपनी का अंतिम तर्क दांडिक प्रकरण कमांक 826 / 2014 म.प्र. राज्य विरुद्ध संदीप कुमार के मामले में पुलिस द्वारा पेश दस्तावेजों के आधार पर है।
- 24. प्र.एन.ए. 1 संतलाल का कथन है जिसमें करीब 2 एकड़ में बोनी करके वापस घर आ रहे थे, 5—6 लोग थे, सभी टेक्टर के इंजिन में बैठकर आ रहे थे। इसी प्रकार राधिका के पुलिस कथन प्र.एन.ए. 2 में भी टेक्टर में बैठकर वापस घर आने लगे इबारत लेख है। आहत फूलचंद के पुलिस कथन में भी अतुल दोनों बैठकर वापस आने लगे, पानी गिर रहा था, का कथन लेख है।
- 25. प्र.एन.ए. 5 बीमा पॉलिसी की प्रमाणित प्रतिलिपि है जिसके अनुसार लिमिट As to use के Clause में केवल कृषि के उपयोग के लिए लेख है तथा Policy Dose not cover के बिंदु कमांक 1 में यात्रियों को ढोना या ले जाना के लिए लेख है। इस प्रकार इस साक्षी के मुख्य कथन के पद कमांक 6 में प्र.एन.ए. 17 के दस्ताबेज में बैठक क्षमता 1 लेख है जो केवल चालक के लिए है। इसी प्रकार प्र.एन.ए. 18 में भी ट्राली कमांक एम.पी. 51 ए.ए. 2885 में बैठक क्षमता शून्य हैं। दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर बीमा पॉलिसी

की शर्तों का उल्लंघन स्पष्ट अभिलेख पर है इसलिए मो.दु.दा.क. 27/2017 का वादप्रश्न कमांक 2 (ब) मो.दु.दा.क. 39/2017 का वादप्रश्न कमांक 4 बीमा शर्तों का उल्लंघन बाबद प्रमाणित पाया जाता है।

- 26. मो.दु.दा.क. 27/2017 के वादप्रश्न कमांक 2 (ब) एवं मो.दु.दा.क. 39/2017 के वादप्रश्न कमांक 4 के निराकरण से मो.दु.दा.क. 27/2017 के वादप्रश्न कमांक 3 (ब) के निष्कर्ष हेतु यह स्पष्ट है कि अनावेदक कमांक 3 बीमा कंपनी का दायित्व क्षतिपूर्ति अदाएगी हेतु नहीं है। मो.दु.द.क. 27/2017 के आवेदकगण को इस अधिनिर्णय के पद कमांक 21 के अनुसार कुल क्षति 3,99,000/—रूपया हुई है, जो आवेदकगण अनावेदक कमांक 2 वाहन स्वामी मयाराम से प्राप्त करने का अधिकारी है। उक्तानुसार मो.दु.द.क. 27/2017 के वादप्रश्न कमांक 3 (ब) निराकृत किया जाता है।
- 27. फूलचंद रजक (आ.सा.1) ने मुख्य कथन के पद कमांक 5 में कथन किया है कि दुर्घटना के फलस्वरूप आयी चोट के कारण आवेदक की पेशाब की जगह क्षतिग्रस्त हो गई है। पेशाब पूर्ण रूप से नहीं कर पाता है। दांपत्य सुख से वंचित हो गया है। पूर्ण रूप से ठीक होने की संभावना नहीं है। आवेदक कपड़े धुलाई व प्रेस करके 300/-रू प्रतिदिन आय अर्जित कर 9000/-रू प्रातिदिन आय अर्जित करता था। दुर्घटना के बाद वह ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा है, अपना कार्य करने में असमर्थ हो गया है। रोजगार की आय की हानि के मद में 5,40,000/-रू, चिकित्सा व्यय में 5,00,000/-रू. भविष्य की चिकित्सा हेतु 2,00,000/-, सहचर्य की हानि के मद में 3,00,000/-रू, शारीरिक मानसिक कष्ट हेतु 4,00,000/-रू. यात्रा व्यय 40,000/-रू., खान-पान, दूध, फल के मद में 50,000/-रू. कुल 20,30,000/-रू पी मांग की हैं।

- 28. इस साक्षी ने मुख्य कथन के पद कमांक 10 में कथन किया है कि ईलाज के असल दस्तावेज पेश किए है जिनमें केश मेमो, एडवांस व मेडिकल बिल है जो प्र.ए. 21 लगायत प्र.ए. 111 है तथा ईलाज की पर्चिया प्र.ए. 112 लगायत प्र.ए. 127 है जिनका अवलोकन किया गया।
- 29. जमा रसीदें, दबाई क्य करने के बिल, अस्पताल के बिलों का कुल योग 1,51,016 / रूपए हैं। आवेदक फूलचंद ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है कि उसका भविष्य में उपचार आवश्यक है अथवा उसमें और व्यय लगेगा इसलिए भविष्य के उपचार के मद में कोई राशि नहीं दिलाई जा सकती। आवेदक फूलचंद ने किसी चिकित्सक साक्षी का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है और न ही उसके कथन कराएं हैं कि आवेदक दांपत्य संबंध का निर्वहन करने के अयोग्य इस दुर्घटना के कारण हो गया है इसलिए मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट के मद में चाही गई 4,00,000 / रूपए की राशि अथवा उसका कोई भाग आवेदक को नहीं दिलाया जा सकता।
- 30. आवेदक फूलचंद चिकित्सालय में भर्ती रहा है, चिकित्सक परिचर्या हुई है, के दौरान वह उपचार शैया पर रहा है उस अवधि में शारीरिक और मानसिक कष्ट के मद में आवेदक को 10,000/—रूपया दिलाया जाना आंकिलत किया जाता है। आवेदक अब कपड़े धोने और प्रेस करने का व्यवसाय नहीं कर सकता, के संबंध में अपंगता बाबद प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। किसी भी चिकित्सक साक्षी का जारी प्रमाण पत्र और उस साक्षी के कथन अभिलेख पर नहीं कराए गए है कि आवेदक अब खड़ा नहीं रह सकता है। इस प्रकार उक्तानुसार आवेदक कुल 151016+10000 =161016/-रूपए की क्षांतिपूर्ति राशि 6 प्रतिशत ब्याज सहित अनावेदक कमांक 2 वाहन स्वामी मयाराम से प्राप्त करने का पात्र है। उक्तानुसार मो.दु.दा.क. 39/2017 का वादप्रश्न कमांक 3 निराकृत किया जाता है।

#### सहायता एवं व्यय :-

### मोटर दुर्घटना दावा कमांक 27/2017 का वादप्रश्न कमांक 4 एवं मोटर दुर्घटना दावा कमांक 39/2017 का वादप्रश्न कमांक 5 का निष्कर्ष :—

- 31. दोनों दुर्घटना दावा प्रकरणों में निर्मित वादप्रश्नों का निराकरण प्रत्येक में पृथक्—पृथक् आयी साक्ष्य के आधार पर किया गया है। प्रत्येक मामले के वादप्रश्न कमांक 5 के निराकरण हेतु अभिलेख पर साक्ष्य की पुनर्रावृत्ति किए जाने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निम्नानुसार निराकरण किया जा रहा है:—
- [अ] मोटर दुर्घटना दावा कमांक 27/2017 के लिये आवेदक कमांक 1 संतलाल को 162000+15000+10000+25000 =212000/- दिने लाख बारह हजार हजार जिपए, आवेदक कमांक 2 देवकी को 162000+25000 = 187000/- [एक लाख सत्तायी हजार] रूपए क्षित पूर्ति की राशि आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी तक 6 प्रतिशत ब्याज सहित अनावेदक कमांक 2 वाहन स्वामी से पाने के अधिकारी है।
- [ब] आवेदक कमांक 1 संतलाल को प्राप्त होने वाली राशि 212000/-में से 2,00,000/- की सावधि जमा रसीद 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनाई जावे शेष राशि 12,000/— आवेदक के बैंक खाते में ई भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे ।
- {स} आवेदक कमांक 2 देवकी को प्राप्त होने वाली राशि 187000/- में 1,00,000/- में की सावधि जमा रसीद 5 वर्ष के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से बनाई जावे शेष राशि 87,000 / आवेदिका के बैंक खाते में ई─भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे । दोनों आवेदक सावधि जमा रसीद की ब्याज की त्रै─मासिक राशि जीवन निर्वाह हेतु बैंक से प्राप्त करते रहेगें।
- [द] मोटर दुर्घटना दावा कमांक 39/2017 के लिये आवेदक/आहत फूलचंद को 161016/- = [एक लाख इकसठ हजार सोलह] रूपए क्षति पूर्ति की राशि आवेदन प्रस्तुति दिनांक से राशि अदाएगी दिनांक तक

6 प्रतिशत ब्याज सहित **अनावेदक कमांक 2 वाहन स्वामी** से पाने के अधिकारी है।

[इ] आवेदक कमांक 1 फूलचंद रजक को उपचार में व्यय की गई प्राप्त होने वाली राशि 161016/- आवेदक फूलचंद के बैंक खाते में ई—भुगतान द्वारा नकद जमा कराई जावे ।

> तद्नुसार व्यय तालिका बनाई जावे। अधिवक्ता शुल्क 1100 / —रूपए देय हो।

अधिनिर्णय की समरूप प्रति हस्ताक्षरित व दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही / – **(माखनलाल झोड़)** 

सदस्य द्वि०अति०मो०दु०दा०अधि० बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर सही / —' **(माखनलाल झोड़)** 

सदस्य द्वि0अति0मो0दु0दा0अधि0बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर

THERE SHOW BY BY ARTER HELES STUDIES BY SHOW AND SHOW AND

### मोटर दुर्घटना दावा क्रमांक 27/2017 -:: <u>व्यय तालिका</u> ::-

CA(C)				
क	विवरण	आवेदक	अनावेदक क.	अनावेदक क.
	2	10	1, 2	3
1.	वाद पत्र पर शुल्क 🎺	20.00	-	a call
2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	-	-	20.00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10.00	10.00	10.00
4.	दस्तावेज पर शुल्क	-	- Will	•
5.	अधिवक्ता फीस	1100-00	1100-00	1100-00
6.	आदेशिका शुल्क व अन्य	5.00	"Eller	-
5/11	योग –	1135.00	1110.00	1130.00

### मोटर दुर्घटना दावा कमांक 39/2017 —: व्यय तालिका ::—

क	विवरण	आवेदक	अनावेदक क.	अनावेदक क्.
	of March		1, 2	3 (2)
1.	वाद पत्र पर शुल्क	20.00	-	× 300
.2.	आवेदन पत्र पर शुल्क	10.00	-	10.00
3.	वकालतनामा पर शुल्क	10-00	10-00	10-00
4.2	दस्तावेज पर शुल्क	-	-18/8/0	-
5.	अधिवक्ता फीस	1100-00	1100-00	1100-00
6.	आदेशिका शुल्क	05.00	19/18/14	-
7.	अन्य	50.00	4/2	
	योग —	1195.00	1110.00	1120.00

(माखनलाल झोड़)

सदस्य द्वि0अति0मो0दु0दा0अधि0बालाघाट श्रृंखला न्यायालय बैहर